

F. No. A.40018/1/2019-Admn.I
The National Institute of Health and Family Welfare
(Administration-I Section)

Dated the 08th December 2020

Circular

This is to bring to the notice of all employees and residents of the NIHFw that any tree grown inside the premises of the NIHFw will not be damaged by pruning / cutting or by any other means. All the employees and residents are hereby informed that if any staff member, resident or outsider found indulged in practice of cutting/damaging of trees, action in terms of the rules applicable, will be taken by the competent authority.

This issues with the approval of Director, NIHFw.

(Prof. Mihir Kumar Mallick)
Actg. Deputy Director (Admn.)

1. All HODs and Sectional Head
2. Faculty In-charge, WM Section
3. SPA to Director
4. PA to D.D (Admn.)
5. In-charge, Computer Centre-with a request to upload the same on the website of the Institute
6. Notice Board / Notice Board of Residence
7. Staff Welfare Association

फाइल संख्या ए 40018/ 1/2019 प्रशा-1
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
(प्रशासन-1)

दिनांक: 08/12 /2020

परिपत्र

संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं आवासियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना है कि संस्थान के परिसर के भीतर अवस्थित किसी भी पेड़ की काट-छांट या किसी अन्य प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। अतः सभी कर्मचारियों एवं आवासियों को सूचित किया जाता है कि यदि संस्थान का कोई भी स्टाफ सदस्य, आवासीय परिसर का निवासी या बाहर का कोई व्यक्ति पेड़ों को काटते या क्षति पहुंचाते पाया गया तो उसके विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा लागू नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

यह परिपत्र निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किया जाता है।



(प्रोफेसर मिहिर कुमार मलिक)
कार्यवाहक उप-निदेशक (प्रशा.)

प्रति प्रेषित:

1. सभी विभाग/अनुभाग अध्यक्ष
2. संकाय प्रभारी, कार्यशाला एवं अनुरक्षण अनुभाग
3. निदेशक के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
4. उप-निदेशक (प्रशा.) के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
5. प्रभारी संगणक केन्द्र – कृपया संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें.
6. सूचना पट्ट /आवासीय परिसर का सूचना पट्ट
7. स्टाफ वेलफेयर एसोशिएशन (रास्वापकसं.)